कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! विविध आदेश !!

क्रमांक– 06 /लेखा–कोविड–19/2020 हरदा, दिनांक 14/01/2022

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुये जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालयों में प्रकरणों के भौतिक एवं आभासी कार्य संपादन हेतु रजिस्ट्री परिपत्र क्र. ए/136/2022 जबलपुर दिनांक 07.01.2022 के परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि, प्रकरणों की सुनवायी आभासी/भौतिक या हाईब्रिड मोड से किया जाना सुनिश्चत करें, तथा माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से दिये गये दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आगामी आदेश तक, दिनांक 17.01.2022 से 22.01.2022 तक, जिला न्यायालय हरदा, तहसील न्यायालय खिरकिया/टिमरनी एवं कुटुम्ब न्यायालय हरदा के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–

:: निर्देश ::

01. सिविल जिला हरदा में स्थित सभी न्यायालयों में न्यायाधीशगण अपने स्टॉफ सहित नियमानुसार प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10:30 से सायं 05:30 बजे तक उपस्थित होकर कार्य संपादित करेंगे।

02. सभी न्यायालय में विचाराधीन बंदियों के प्रकरण, 05 वर्ष से अधिक अवधि के आपराधिक एवं सिविल लंबित प्रकरण तथा जिन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा समय सीमा निर्धारित की है, में सुनवाई की जा सकेगी। **समस्त न्यायाधीशगण अपने न्यायालय में स्वविवेकानुसार प्रकरणों की सुनवाई की संख्या निर्धारित कर सकेंगे।**

03. ऐसे प्रकरण जिनमें साक्ष्य ली जानी है, न्यायिक अधिकारी उन प्रकरणों में सुनवाई आभासी/भौतिक रूप से करेगें। तर्क हेतु नियत प्रकरणों में केवल अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर यथासंभव स्थगन देने की प्रवृत्ति से विरत रहेंगे।

04. अर्जेन्ट प्रकरणों के मामलों में सुनवाई यथावत रहेंगी।

05. अपरिहार्य परिस्थिति के अतिरिक्त, आदेश पत्रिका पर अधिवक्तागण के हस्ताक्षर न कराये जाये। प्रत्येक न्यायालय में एक समय में एक ही प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा। प्रकरण की सुनवाई हो जाने के पश्चात् दूसरे प्रकरण के पक्षकार या अधिवक्तागण को न्यायालय में आने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान अन्य सहयोगी अभिभाषकगण, पक्षकारगण कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर सामाजिक दूरी बनाये रखकर उपस्थित रहेंगे। सुनवाई होने के पश्चात् तुरंत न्यायालय कक्ष से बाहर चले जायेगें।

06. प्रत्येक न्यायालय आगामी कार्य दिवस में नियत प्रकरणों की सूची (कॉज लिस्ट) न्यायालय के बाहर सूचना पटल पर एक दिन पूर्व लगायेंगे एवं सोशल मीडिया पर एवं उसी सूची (कॉज लिस्ट) अनुसार प्रकरणो की सुनवाई की जायेगी।

07. न्यायालयीन अभिलेखों की आदेश पत्रिका व साक्ष्य पत्रिका में पक्षकारों, साक्षीगण तथा अधिवक्तागण की उपस्थिति मात्र दर्ज की जायेगी। आगामी आदेश होने तक न्यायालय द्वारा आवश्यक मामलों पर उनके हस्ताक्षर लिये जाने की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

08. न्यायालय परिसर में पक्षकारों का प्रवेश अत्यावश्यक न होने पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिवक्तागण आपराधिक प्रकरणों में पक्षकारों को आवश्यकता न होने पर यथा संभव बुलाने से विरत रहेंगे, यदि अभियुक्त जमानत पर है तो वहां गैर हाजिरी माफी आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय सामान्यतः जब तक अभियुक्त की पहचान का प्रश्न अंतर्विलित न हो, बुलाने हेतु विवश नहीं करेंगे।

09. न्यायालय में अभियुक्त की उपस्थिति केवल वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्मय से ही कराये जाये। प्रथम रिमाण्ड की स्थिति में कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से कराया जाये।

10. अधिवक्तागण कार्यकारिणी से अनुरोध है कि वे इस तथ्य का ध्यान रखेंगे कि कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं, बार रूम में अधिवक्तागण अत्यधिक संख्या में एकत्रित न हो और वे सर्जिकल/एन–95 मास्क पहने बिना न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें, सैनेटाईजर का समय– समय पर उपयोग करें, पर्याप्त दूरी बनाये रखें।

11. समस्त न्यायिक अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वे कोविड–19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करें, किसी भी स्थान पर एकत्रित होकर बातचीन न करें, सर्जिकल/एन–95 मास्क के बिना न्यायायल परिसर में प्रवेश न करें एवं समय–समय पर सैनेटाइजर का प्रयोग करें।

12. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि, वे न्यायालय कक्ष में बाहर स्थित सैनेटाईजर का उपयोग करने के पश्चात् ही न्यायालय में प्रवेश करें।

13. कोविड अनुपानल अधिकारी (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) हरदा) को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय परिसर में अपनी टीम के साथ भ्रमण कर कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करावे।

14. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि, मुख्य द्वार कमांक–01 के अतिरिक्त शेष न्यायालय परिसर के दोनों द्वार किसी भी प्रकार के आवागमन हेतु बंद रहेंगे, केवल मुख्य द्वार पर मास्क के अभाव में या शरीर का तापमान अधिक पाये जाने पर या तेज सर्दी, खांसी के लक्षण होने की दशा में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेधित किया जा सकेगा।

15. जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय हरदा एवं तहसील न्यायालयों के परिसर गेट से प्रवेश करने वाले अधिकारीगण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अधिवक्तागण तथा पक्षकारगण की थर्मल स्केनिंग और उनके दोनों टीका लगे होने के प्रमाण पत्र की जांच कर्मचारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, इस हेतु नजारत प्रभारी संबंधित को निर्देशित करेंगे।

Sd/

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)

पृ.कमांक– 29 /कोविड–19/2022 हरदा दिनांक 14/01/22

प्रतिलिपि–निर्देशानुसारः–

01– माननीय, रजिस्ट्रार जनरल महोदय, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02– निज सचिव, पोर्ट फोलियो न्यायाधिपति महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

03– समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

04– जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

05– पुलिस अधीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

06– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय हरदा की सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

07– समस्त अनुभाग अधिकारी, नजारत अनुभाग, प्रतिलिपि अनुभाग, हरदा/खिरकिया/टिमरनी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस निर्देश को सूचना पटल पर दृश्यमान स्थल पर चस्पा करें एवं समस्त न्यायिक कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।

08– अध्यक्ष, अभिभाषक संघ हरदा/खिरकिया/टिमरनी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

09– जेल अधीक्षक, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10– लोक अभियोजन कार्यालय, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11– अतिरिक्त लोक अभियोजक खिरकिया/टिमरनी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

12– अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ हरदा की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

13– प्रशासनिक अधिकारी एवं उप प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायालय हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14– प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15– सिस्टम ऑफिसर/सिस्टम असिस्टेंट, सर्वर रूम जिला न्यायालय हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल व व्हाट्सप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित किया जावे व जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावे।

कृते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म.प्र.)